(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक आर.एन./5–2/आर/79/96 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–11–95 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 340/92–93/अपील.

1– संतोष कुमार पुत्र बाबूलाल चौरसिया अव्यस्क
द्वारा वाद मित्र दादी सुदबाई विधवा गजाधर

2– पंकज कुमार पुत्र बाबूलाल चौरसिया अव्यस्क
द्वारा वाद मित्र दादी सुदबाई विधवा गजाधर
निवासीगण चाचौड़ा जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

बबरीबाई पत्नी भंवरलाल माली
निवासी चाचौड़ा जिला गुना .....अनावेदिका

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/4/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–95 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, चाचौड़ा जिला गुना द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–6/88–89 में पारित आदेश दिनांक 5–8–89 से ग्राम चाचौड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 102/1, 103/2/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.398 हेक्टेयर पर पंजीकृत विकय पत्र कमांक 223 दिनांक 4–7–89 के आधार पर अनावेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–6–90 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय

का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि तहसीलदार न्यायिक प्रकिया का पालन करते हुए ट्रांसफर ऑफ प्रापटी एक्ट तथा मायनोरिटी एण्ड गार्जियन एक्ट के प्रावधानों के आलोक में पुनः विधिवत आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–6/91–92 दर्ज कर दिनांक 27–8–92 को आदेश पारित कर अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–6–93 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–11–95 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विपरीत होने तथा फाईंडिंग परवर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप को समझे बगैर अनावेदिका के दूसरे प्रकरण से संबंधित प्रकरण का हवाला देकर सरसरी तौर पर आदेश पारित कर अपील निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण अव्यस्क हैं, इसलिए उनकी दादी मॉ को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था । ऐसी स्थिति में अवैध एवं शून्य विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदिका के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश हिन्दु मायनोरिटी एण्ड गार्जियन एक्ट की धारा 6 व 8 (2) एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 32 एवं नियम 4 के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाकर विधिवत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा विस्तृत

विवेचना करते हुए आवेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, और तहसील न्यायालय के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई भूल नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है, कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दस्तावेज लेखक के विरूद्ध पृथक से कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं । इस संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 420 के अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दस्तावेज लेखक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि जब दस्तावेज लेखक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाये तब वह संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है, और यदि वह सक्षम न्यायालय के आदेश से संतुष्ट न हो तो संबंधित वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वार पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–95 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर